

अध्याय – 12 भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें

256. नियोजन के लिए अपात्र व्यक्ति—(1) कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था में स्थाई, अस्थायी या अंशकालिक हैसियत में नियोजित नहीं किया जायेगा, यदि वह—

(क) अच्छे चरित्र का नहीं हैं, या

(ख) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया है, या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था का या किसी नगरपालिका का सदस्य है, या

(ङ) आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक के बाद आने वाली पहली जनवरी को 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक आयु का है :

परन्तु अंशकालिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा का निर्बंधन लागू नहीं होगा।

(च) पंचायत के किसी सदस्य का पुत्र, पौत्र, सगा भाई या कोई अन्य निकट सम्बंधी है :

परन्तु यदि कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात् उसका कोई सम्बंधी ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो उसे सेवोन्मुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) नियुक्ति के लिए निरर्हता—(क) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, सेवाओं में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात्, कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

(ख) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

(ग) कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संताने हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह के दो से अधिक संतानो वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उस संख्या में जो 1-6-2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है:

परन्तु यह और की जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक संतान है, किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है, तो वहाँ संतानों की कुल गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा। (अधिसूचना प. प.रा.वि/विधि/संशोधन/04/10634 जयपुर दिनांक 23-6-2004 द्वारा संशोधित)

257. सेवा की पद संख्या—सेवा की पद संख्या उतनी होगी जो अधिनियम की धारा 79, 80 और 83 के अधीन समय-समय पर नियत की जाये।

258. पदों का प्रवर्ग—(1) निम्नलिखित पद प्रवर्ग पंचायत समितियों और जिला परिषदों में रहेंगे—

(क) राज्य सेवा पद—

(प) मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(पप) विकास अधिकारी

(पपप) लेखाधिकारी

(पअ) सहायक अभियन्ता

(अ) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पदों की श्रेणियां

(ख) अधिनस्थ सेवा—

(प) सहायक लेखाधिकारी

(पप) प्रसार अधिकारी (पंचायत, शिक्षा, सहकारिता, प्रगति)

(पपप) लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार

(पअ) कनिष्ठ अभियन्ता

(ग) पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ पद—

(प) वरिष्ठ लिपिक जिसमें वरिष्ठ लिपिक एवं स्टेनों सम्मिलित है।

(पप) कनिष्ठ लिपिक जिसमें टंकक सम्मिलित है।

(पपप) वाहन चालक

(पअ) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संशोधन दिनांक 28-2-2004)

(अ) ग्राम सेवक एवं सचिव, पंचायत

(घ) चतुर्थ श्रेणी सेवा पद।

(2) तथापि पंचायत सम्पत्तियों और कांजी हाऊस आदि के प्रबन्ध के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से संविदा के

आधार पर अंशकालिक व्यक्तियों को स्वयं की आय से और पंचायत कार्यालय के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को राज्य सरकार से प्राप्त साधारण परियोजना अनुदान से नियुक्त कर सकेगी।

259. भर्ती की विधियां—(1) राज्य सेवा के पद उपयुक्त सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरे जा सकेंगे।

(2) विकास अधिकारियों के पद राज्य सरकार द्वारा उद्देश्य से तैयार किये गये अधिनियम/नियमों के उपयुक्त संवर्ग से भरे जायेंगे।

(3) पंचायत प्रसार अधिकारी के पद ग्राम सेवक—एवं—सचिव, पंचायत से 100: पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(4) अन्य प्रसार अधिकारियों के पद क्रमशः शिक्षा, सहकारिता और सांख्यिकी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे।

(5) कनिष्ठ अभियन्ता के पद या तो प्रतिनियुक्ति पर अन्य सरकारी विभागों से स्थानान्तरण द्वारा भरे जा सकेंगे या जन शक्ति विभाग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जा सकेंगे।

(6) धारा 89 की उप-धारा (2) के अनुसार पंचायत समिति और जिला परिषद सेवाओं में संवर्गित पदों की भर्ती अधिनियम की धारा 80 और 90 के उपबंधों के अनुसार जिला स्थापन समिति के माध्यम से जिलेवार की जायेगी।

परन्तु धारा 89 (2) की उप धारा (पपप) में विनिर्दिष्ट पदों हेतु भर्ती राज्य स्तर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। (दिनांक 28-2-2004 द्वारा संशोधित)

(7) चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति से की जा सकेगी।

260. पंचायत समिति और जिला परिषद सेवाओं के लिए भर्ती के स्रोत— रिक्तियां निम्नलिखित रूप से भरी जायेगी—

(क) प्रत्येक प्रवर्ग की निम्नतम श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) एक ही प्रवर्ग में किसी निम्नतर से उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति द्वारा।

(ग) पंचायत समिति/जिला परिषद या सरकार के अधीन समरूपी पदों का धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा

परन्तु यह और कि वरिष्ठ लिपिकों के प्रवर्ग में रिक्तियां, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, कृषि या वाणिज्य में डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकेंगी, यदि सेवा का कोई भी सदस्य ऐसी रिक्तियां भरने के लिए पदोन्नति हेतु पात्र नहीं पाया जाये और इन नियमों के अनुसार स्थानान्तरण द्वारा ऐसी रिक्तियों का भरा जाना सम्भव नहीं हो।

261. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण— (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों का आरक्षण क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत या भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा भर्ती के समय ऐसे आरक्षण के लिए प्रस्तुत सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए ऐसी आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा भरी जावेगी।

(3) ऐसी आरक्षित रिक्तियों को भरने में, ऐसे पात्र अभ्यर्थियों पर, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम सीधी भर्ती के लिए या पदोन्नति के लिये समिति द्वारा तैयार की गई सूची में आये हैं, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी आपेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) नियुक्ति सर्वथा सीधी और पदोन्नति के लिए अलग-अलग विहित रोस्टर्स के अनुसार की जावेगी। किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए ऐसी आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जावेगी और पश्चात्पूर्वी वर्ष में समतुल्य संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जायेगी। ऐसी रिक्तियां जो इस प्रकार बिना भरी रह जायें पश्चात्पूर्वी कुल तीन भर्ती वर्षों तक अग्रणीत की जावेगी और तत्पश्चात् ऐसा आरक्षण व्ययगत हो जायेगा।

(5) अन्य पिछड़ी जाति के लिये रिक्तियों का 21 प्रतिशत पद आरक्षित होगा अथवा सीधी भर्ती लागू राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुरूप होंगे। किसी वर्ष विशेष में अन्य पिछड़ी जाति में योग्य एवं उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध ना होने के स्थिति में ऐसी आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया अनुसार भरी जावेगी।

262. अन्य प्रवर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का कतिपय प्रतिशत राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जावेगा और वे राजस्थान शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को नियोजन नियम 2000 प्रभावी दिनांक 23-6-2004 नियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार भरे जायेंगे।

(2) रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में वे अन्य उपबन्ध भी लागू होंगे जो राज्य सरकार में समय-समय पर विद्यमान हों।

263. रिक्तियों का अवधारण—इन नियमों के उपबन्धों और सरकार के निर्देशों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन रहते हुए, पंचायत समिति या जिला परिषद आगामी छः मास की कालावधि के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या और प्रत्येक रीति द्वारा भर्ती किये जाने के लिए सम्भाव्य व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष में दो बार अर्थात् 1 जनवरी और 1 जुलाई को अवधारित करेगी और समिति को सूचित करेगी परन्तु धारा 89 (2) (पपप) द्वारा निर्धारित रिक्तियों की सुचना निदेशक बुनयादी शिक्षा को दी जायेगी।

264. राष्ट्रीयता—सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को भारत का सद्भावी नागरिक होना चाहिए।

265. आयु—सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आवेदन प्राप्ति की नियत तारीख के पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और तैतीस वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु—

(1) किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं महिला अभ्यर्थी के लिए जो सामान्य जाति की हो,

ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की शिथिलता, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति की महिला हेतु 10 वर्ष की शिथिलता होगी। (अधिसूचना दिनांक 21-2-2003 द्वारा संशोधित)

(2) भूतपूर्व-सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा पचास वर्ष होगी।

(3) पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तीन वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।

(4) विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में तलाक का सबूत देना होगा। 75 प्रतिशत पदों पर भर्ती हेतु पैरा टीचर/शिक्षा सहयोगी के अनुभव हेतु राजीव गांधी स्वर्ण ज्यती पाठशाला योजना अधिसूचित की जाती है। (प.4/प.रा.वि/2002/1040 दिनांक 25-7-2003 द्वारा संशोधित)

(5) जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद के अधीन अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे, उनके लिए ऊपरी सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।

(6) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी। जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका है और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था।

(7) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी की दशा में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, मुक्त कारावास की अवधि के बराबर कालावधि तक शिथिल की जायेगी।

266. शैक्षणिक अर्हता—भर्ती होने वाले में निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए—

(1) कनिष्ठ लिपिक टंकण के ज्ञान सहित सीनियर सैकेण्डरी

(85: सीधी भर्ती ;15: पदोन्नति)

(2) ग्राम सेवक एवं सचिव (100: सीधी भर्ती) स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित समान योग्यता

(3) प्राथमिक विद्यालय अध्यापक बी.एस.टी.सी. पाठ्यक्रम सहित सीनियर सैकेण्डरी

(75 प्रतिशत पैरा टीचर/ शिक्षा सहयोगी में से जिन्हें 4 वर्ष का अनुभव हो एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित योजना अन्तर्गत, 25 प्रतिशत अन्य (प.28/प.रा.वि/प्रशासन 2/2002/2326/दिनांक 21-10-2002 द्वारा संशोधित) प्रत्याशीयों में से) परन्तु बी एस.टी.सी./बी.एड की योग्यता में छुट दी जायेगी यदि महिला विधवा या परित्यक्ता अध्यापक पद हेतु नियुक्ति चाहती हो अन्यथा वह योग्य है और बोन्ड पेश करती है कि 3 वर्ष के अन्दर एस.टी.सी./बी.एड की योग्यता प्राप्त कर लेगी परन्तु नियुक्ति के बाद तुरन्त वे एस.टी.सी./बी.एड की योग्यता प्राप्त करने हेतु अध्ययन अवकाश लेने के लिए हकदार होंगे (प.18/प्रा.शि./विधि प्रकोष्ठ/2002/1348/दिनांक 14-7-2003 द्वारा जोडा गया है)

नोट—भर्ती होने वाले ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे चाहे जिन्होंने 1990 के पूर्व सैकेण्डरी या हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) ड्राईवर चालक अनुज्ञप्ति रखनेवाला और हल्के/भारी (90: सीधी भर्ती 10: मोटर यान चलाने का 3 वर्ष का अनुभव रखने पदोन्नति) वाला 8वीं कक्षा उत्तीर्ण

(5) चतुर्थ श्रेणी पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण (अनुसूची संलग्न)(100: सीधी भर्ती)

267. चरित्र—सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय संस्था के, जिसमें उसने अन्तिम वार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से सच्चरित्र प्रमाणपत्र और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से असम्बद्ध और ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, आवेदन की तारीख से छह से अनधिक मास पूर्व लिखे गये दो ऐसे प्रमाणपत्र समिति को प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

नोट—किसी न्यायालय के द्वारा की गई किसी दोषसिद्धि मात्र के कारण अच्छे चरित्र प्रमाणपत्र देने से इन्कार नहीं किया जायेगा। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें कोई नैतिक अधमता या हिंसा के अपराधों के साथ या किसी ऐसे आन्दोलन के साथ जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक उपयों से उलटना है, सहबद्धता अन्वर्लित न हो तो मात्र दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

268. शारीरिक योग्यता—सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालना करने में संभाव्यतः बांधा डालने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए और नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर, चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

269. संयाचना—भर्ती के लिए नियमों के अधीन अपेक्षित से भिन्न किसी भी लिखित या मौखिक सिफारि: पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए ऐसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समर्थन हेतु संयाचना का कोई भी प्रयत्न करने पर उसे भर्ती के लिए निरर्हित किया जा सकेगा।

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

270. आवेदन आमन्त्रित किया जाना—जिला स्थापना समिति को पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा सेवा में सीधी भर्ती के लिए अध्यपेक्षा की जाने पर समिति द्वारा व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमन्त्रित किये जायेंगे।

271. आवेदन पत्र का प्रपत्र—आवेदन पत्र समिति द्वारा विहित प्रपत्र में दिया जायेगा तथा आवेदन पत्र को विधिवत् भर कर उसके साथ पोस्टल आर्डर या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित आवेदन शुल्क लगाकर प्रस्तुत करने पर ही उस पर विचार किया जायेगा।

272. आवेदनों की संवीक्षा—समिति उसके द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की संवीक्षा करेगी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए

योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुला सकेगी।

273. लिखित परीक्षा—समिति वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के अलावा समस्त प्रवर्गों हेतु लिखित परीक्षा आयोजित कर सकेगी। प्रश्न पत्र राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बनाये जायेंगे। जिला स्थापना समिति इस आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगी :

परन्तु विभिन्न पदों के लिए चयन इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये सामान्य निर्देशों के अनुसरण में किये जायेंगे। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा यदि इन निर्देशों में ऐसा उपबन्धित हो।

274. समिति द्वारा योग्यता सूची तैयार किया जाना—(1) समिति जिले में प्रत्येक ग्रेड या श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची तैयार करेगी, तथा पंचायत समितियों या जिला परिषदों से अध्यक्षता प्राप्त होने पर सूची में से उम्मीदवारों को, सूची में जिस प्रकार उनके नाम दिए गए हैं, आवंटित करेगी :

परन्तु यह कि

(प) समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में अभ्यर्थियों की संख्या, ऐसी योग्यता सूची को तैयार करने के समय वास्तविक रूप में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी, एवं

(पप) इस प्रकार तैयार की गयी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि तक तथा अध्यापकों के लिए शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक वैध रहेगी। उस अवधि की समाप्ति के बाद, इसे व्ययगत (लैप्स) हुआ समझा जायेगा।

(2) पंचायत समिति एवं जिला परिषदें समिति को अपनी अधियाचना भेजते समय नियम 261 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखेंगी।

275. राज्य सरकार द्वारा आवंटन—राज्य सरकार ऐसे जिले की सूची में से जहाँ अन्य जिले में कोई रिक्त पद नहीं है योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों को वह स्थान अलाट करेगी जहाँ नियुक्ति के लिए रिक्त पद होंगे, परन्तु यह कि उस बाद वाले जिले की योग्यता सूची में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों।

276. पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा नियुक्ति—पंचायत समिति या जिला परिषद समिति द्वारा आवंटित किए अभ्यर्थियों को उसी क्रम में नियुक्त करेगी जिसमें उनके नाम समिति द्वारा भेजे गए हैं।

277. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य की नियुक्ति—(1) पंचायत समिति/जिला परिषद सेवा के मृतक कर्मचारी के मामले में, उसके परिवार के एक ऐसे सदस्य को, जो पहले से ही पंचायत समिति/जिला परिषद/भारत/राज्य सरकार या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित किसी सांविधिक निकाय/संगठन/निगम में पहले से नियुक्त नहीं है, तत्प्रयोजनार्थ आवेदन करने पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए, विद्यमान रिक्त पद के विरुद्ध ही यथाशक्य जितना व्यवहार्य हो सकेगा उतनी ही जल्दी, सेवा में उपयुक्त रूप से नियुक्ति दी जायेगी, बशर्ते कि वह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं को पूरी करता हो तथा अन्यथा प्रकार से भी उस सेवा के लिए अर्हता प्राप्त (योग्य) हो। यदि कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो या यदि परिवार का सदस्य अनर्ह (अयोग्य) या अवयस्क हो तथा तुरन्त नियुक्ति के लिए उसे उपयुक्त या पात्र नहीं पाया गया हो, तब उस मामले पर पद उपलब्ध होने पर या इन नियमों के अन्तर्गत ऐसी नियुक्ति के लिए उनमें से किसी एक के अर्ह (योग्य) या पात्र हो जाने पर, तुरन्त नियुक्ति देने के लिए विचार किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित किए गए नियम ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

277 (ए) अध्यापको की सीधी भती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की सूचना जारी की जायेगी (28-2-2004 को जोडा गया)

पदोन्नति एवं स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया

278. चयन के लिए सिद्धान्त—(1) पदोन्नति के लिए, जिले में सेवा कर रहे सेवा के उन सदस्यों में से जो ऐसी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर चयन किया जायेगा:

परन्तु यह कि इन नियमों के अन्तर्गत सेवा के संस्थायी (सबस्टान्टिव) सदस्य या पंचायत समिति एवं जिला परिषद चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 1959 के अधीन सेवा के संस्थायी सदस्य, जो इन नियमों के नियम 266 के अधीन विहित शर्तों के अनुसार सेवा में किसी अन्य उच्चतर पद के लिए अन्यथा रूप से पात्र हैं, उन्हें इस अध्याय में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति के रूप में ऐसे पदों पर नियुक्त किया जायेगा। तथापि, ऐसी नियुक्तियां इन नियमों के नियम 246 के 286 के प्रावधानों के अधधीन होगी।

(2) पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने में, उनकी निम्न बातों को ध्यान में रखा जायेगा—

(क) शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हताएं एवं ज्ञान

(ख) चातुर्य, योग्यता एवं बुद्धिमानी

(ग) सत्यनिष्ठा, एवं

(घ) सेवा का पूर्ण अभिलेख

(ङ) विद्यमान पद पर न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।

(3) झाड़वरो के 10 प्रतिशत पद तथा कनष्ट लिपिकों के 15 प्रतिशत पद राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार या समय-समय पर संशोधित विद्यमान नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे :

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर, उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, 5 भती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा यदि 1 जून 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संताने हो परन्तु वह योग्य नहीं होगा यदि दिनांक 1-6-2002 के बाद बढोतरी नहीं होगी, बशर्तेकि एक संतान वाले को दूसरे प्रसव 1-6-2002 बाद एक से अधिक संताने होने पर संतानो की एक इकाई समझा

जायेगा। (दिनांक 23-6-2004 से जोड़ा गया)

परन्तु यह कि उप-नियम (2) में दी गयी शर्तें पूरी कर ली जाती हैं।

279. चयन के लिए प्रक्रिया—(1) जब भी जिले में सेवा की विभिन्न ग्रेडों एवं श्रेणियों में रिक्त पदों को पदोन्नति के द्वारा भरा जाना हो तो समिति पंचायत समिति एवं जिला परिषद् से सिफारिशें आमन्त्रित करेगी। पदोन्नति के लिए सिफारिशों को तथा सिफारिश किए गए व्यक्तियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों एवं अन्य सेवा अभिलेखों को प्राप्त करने पर उन पर विचार किया जायेगा, तथा जिन लोगों को अधिक्रमित (सुपरसीड) किए गया है, उन पर भी विचार किया जायेगा तथा इसके बाद वरिष्ठता के क्रम में उस ग्रेड या श्रेणी में पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की एक सूची तैयार की जायेगी तथा साथ में व्यक्तियों को यदि कोई हों, अधिक्रमित किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता का जोन वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या का पांच गुना होगा।

280. आवंटन एवं नियुक्ति—(1) पंचायत समितियों या जिला परिषद् से अधियाचना प्राप्त किए जाने पर, समिति उस सूची में से व्यक्तियों को उसी क्रम में अलाट करेगी जिस क्रम में उनके नाम उस सूची में दिए गए हैं।

(2) पंचायत समितियां या जिला परिषद् समिति से आवंटन प्राप्त हो जाने पर, इस प्रकार आवंटित किए गए व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त करेगी जिनके लिए समिति द्वारा उन्हें चयनित किया गया है।

281. सेवा में पदों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्थानान्तरण—पंचायत समिति या जिला परिषद् से इस आशय की अधियाचना प्राप्त होने पर कि पदोन्नति द्वारा या अन्य पंचायत समितियों या जिला परिषद् से स्थानान्तरण द्वारा सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए सेवा का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है, तथा उस पद को किसी ऐसे व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है जो सेवा में उस पद के सामान्य राज्य सेवा में किसी पद को धारण कर रहा हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस राज्य कर्मचारी की सहमति प्राप्त करके एवं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की अनुमति लेकर, उस व्यक्ति का स्थानान्तरण करने के लिए समिति के पास अपनी सिफारिशों को भेजेगा।

इसके बाद समिति ऐसे व्यक्ति को सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद् को अलाट करेगी। पंचायत समिति या जिला परिषद् जैसी भी स्थिति हो, तब इस प्रकार अलाट किए गए व्यक्ति को इन नियमों में दी गयी शर्तों के अनुसार पद पर नियुक्त करेगी।

282. सरप्लस (बेशी) घोषित किए गए सरकारी कर्मचारियों की सेवा में स्थानान्तरण द्वारा भर्ती—(1) जब भी सरकार के अधीन पदों को कम करने/समाप्त करने के कारण किसी सरकारी कर्मचारी को सरप्लस किया जाता है या उसको सरप्लस करने की सम्भावना हो, तो वह इस नियम में एतदपश्चात् दिए गए तरीके से, ऐसे किसी पद पर, उसे उसकी सहमति से नियुक्त किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा उस सरकारी कर्मचारी द्वारा उसका स्थानान्तरण किए जाने से पूर्व धारित पद के समान होने के रूप में सरकार द्वारा घोषित किया गया है।

(2) सरकार के अधीन सरप्लस किए गए इन व्यक्तियों की एक सूची, निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को, जिसे इसमें आगे इस भाग में निदेशक कहा गया है, भेजी जायेगी जो उस सूची में, प्रत्येक जिले के लिए सेवा में पदों के लिए व्यक्तियों का चयन करेगा तथा इस प्रकार चयन किए गए व्यक्तियों को उस समिति से सम्बन्धित पंचायत समितियों एवं जिला परिषद् में विद्यमान रिक्त पदों की संख्या के बराबर संस्था में समिति को आवंटित करेगा। निदेशक को भेजी गयी सूची की एक प्रति साथ-साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी भेजी जायेगी।

283. पदों को कम करने / समाप्त करने के कारण सरप्लस किए गए सेवा के सदस्यों का अन्तर्व्यन—(1) सेवा में कतिपय पदों का कम करने/समाप्त कर दिये जाने के कारण, सरप्लस किए गए व्यक्तियों की एक सूची पंचायत समितियों या जिला परिषद् द्वारा सरकार को भेजी जायेगी तथा साथ ही उसकी एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजी जायेगी जिसके कि आधार पर सरकार सेवा में इस प्रकार सरप्लस किए गए व्यक्तियों की जिलेवार एक सूची तैयार करेगी।

(2) सरप्लस कर्मचारी, जिन्हें जिले के भीतर अन्तर्लायित (एब्जार्ब) किया जा सकता है, सेवा में उस समय विद्यमान रिक्त पदों की संख्या के अनुसार या समान पदों या कमी करने के अन्तर्गत लिए गए सेवा में पदों के समकक्ष होने के रूप में सरकार द्वारा घोषित किए गए पदों पर समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) समिति तदनुसार उन व्यक्तियों को सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद् को अलाट करेगी जो इस प्रकार अलाट किये गए व्यक्तियों को समान पदों पर या सेवा में सम्मानित किए गए पदों पर ऐसी शर्तों पर जो उन सम्मानित पदों (इन्वेस्टेड पोस्ट्स) पर लागू होंगी, करेगी।

(4) जिन व्यक्तियों को जिले के बाहर अन्तर्लपित (एब्जार्व) किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, उनकी एक सूची निदेशक द्वारा सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजी जायेगी जो उन्हें समान या समानित दिए गए पदों पर अन्तर्लपित (एब्जार्व) करेगा।

अति आवश्यक अस्थायी नियुक्ति

284. अति आवश्यक अस्थायी नियुक्ति द्वारा रिक्त पदों को भरना—(1) यदि रिक्त पद को भरने के लिए, किसी समय, कोई चयन नहीं किया गया हो या समिति द्वारा चयनित कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम छह माह की अवधि के लिए अत्यावश्यक व अस्थायी आधार पर नियुक्ति दी जा सकेगी, परन्तु यह कि पंचायतों के मामले में जिला स्थापना समिति की पूर्व अनुमति से तथा पंचायत समिति/जिला परिषद् द्वारा तैयार राज्य सरकार की अनुमति से केवल संविदा के आधार पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) यदि रिक्त पद को अस्थायी रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए प्रस्ताव किया गया हो तो निकटतम रोजगार कार्यालय को इस प्रकार रिक्त पदों की संख्या में कम से कम पांच गुने उन व्यक्तियों के नाम की एक पेनल (सूची) भेजने के लिए कहा जायेगा जो न्यूनतम अपेक्षित अर्हता रखते हों। नियुक्ति प्राधिकारी तब पद के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को, अभ्यर्थियों की उस सूची में नियुक्त करेगा।

(3) यदि रिक्त पद को अस्थायी रूप से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रस्ताव किया गया हो तो अगली निम्न ग्रेड में वरिष्ठत कर्मचारी को

नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि वरिष्ठतम कर्मचारी का रिकार्ड सन्तोषप्रद नहीं है, तो उसके ठीक नीचे के व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया जायेगा।

(4) तथापि, ऐसी अस्थायी नियुक्ति की अवधि, केवल समिति की पूर्व सहमति से ही, छह माह के बाद बढ़ाई जायेगी।

(5) इस नियम के अधीन की गई अस्थाई नियुक्ति जैसे ही समिति द्वारा चयन किया व्यक्ति उपलब्ध हो जायेगा, समाप्त हो जायेगी। पंचायत समिति/जिला परिषद् के निपटारे पर उक्त प्रकार उपलब्ध कराए गए एवं रखे गए अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल उन रिक्त पदों पर नियुक्त किया जायेगा जिनके विरुद्ध अस्थायी नियुक्तियों की गई हैं तथा ड्यूटी के लिए उनकी रिपोर्ट पर, अस्थायी नियुक्तियों को धारण करने वाले व्यक्तियों को उनके पदों को खाली किया हुआ समझा जायेगा तथा वे उसके बाद किसी भी वेतन (सेलेरी) के लिए हकदार नहीं होंगे।

285. वरिष्ठता—सेवा के कनिष्ठतम श्रेणी या ग्रेड में वरिष्ठता उस श्रेणी या ग्रेड में किसी पद पर स्थाईकरण की दिनांक से अवधारित की जायेगी एवं पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उच्चतर पदों पर नियमित चयन की तारीख से निर्धारित होगी।

परन्तु :

(1) यह कि एक ही तारीख के एक ही आदेश या आदेशों के अधीन उसी तारीख के आदेश का आदेशों के अधीन एक ही ग्रेड या श्रेणी में दो या दो से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए गए जाते हैं, तो उनकी वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिसमें उनके नाम समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में दिए गए हैं।

(2) यह कि स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता संस्थायी रूप से नियुक्त किए गये व्यक्तियों के नीचे स्थिर की जायेगी तथा वह सबसे कनिष्ठ समझा जायेगा चाहे उसके वेतन को वैयक्तिक वेतन के रूप में संरक्षित कर दिया गया हो।

286. परिवीक्षा—सेवा के सभी सदस्यों को, नियुक्ति पर, परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा की अवधि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष होगी।

287. परिवीक्षा के दौरान असन्तोषजनक प्रगति—(1) यदि जिला परिषद् या पंचायत समिति जैसा भी मामला हो को ऐसा प्रतीत हो कि सेवा के किसी सदस्य ने उसके अवसरों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया है या यह कि वह संतोष प्रदान नहीं कर सका है, तो पंचायत समिति या जिला परिषद् उसे सेवा से हटा देगी या यदि वह किसी संस्थायी पद को धारण करता है, तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा:

परन्तु यह कि पंचायत समिति/जिला परिषद् सेवा के किसी भी सदस्य की परिवीक्षा की अवधि को ऐसी अवधि तक के लिए बढ़ा सकेगी जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(2) उप-नियम (1) अधीन परिवीक्षा के दौरान या परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर प्रत्यावर्तित किया गया या सेवा से हटाया गया परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

288. स्थायीकरण—परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर उसके पद पर स्थायी किया जायेगा, यदि पंचायत समिति या जिला परिषद् इससे सन्तुष्ट है कि उसकी सत्यनिष्ठा के बारे में कोई विवाद नहीं है, उसका कार्य संतोष प्रद है तथा वह अन्य दृष्टि से स्थायीकरण के लिए योग्य है।

289. जिले के भीतर स्थानान्तरण—(1) जिले के भीतर स्थानान्तरण चाहने वाले या जिनका स्थानान्तरण करना चाहा गया है, उस कर्मचारी का नाम, पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, जिला स्थापना समिति को सूचित किया जायेगा। समिति इस पर इन नामों को एक सूची में दर्ज करेगी।

(2) ऐसे कर्मचारी की स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त जिला स्थापना समिति या राज्य सरकार की सिफारिश पर संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा की जायेगी।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर स्थानान्तरणों के आदेश जारी करने के संबंध में निर्देश जारी करेगी।

(4) कर्मचारियों का स्थानान्तरण किए जाने पर, उसकी गोपनीय पंजिका एवं सेवा अभिलेख को, बिना परिहार्य विलम्ब के, उस पंचायत समिति/जिला परिषद् को भेजा जायेगा जिसको उसकी सेवाएं स्थानान्तरित की गयी हैं।

290. जिले के बाहर स्थानान्तरण—(1) ऐसे कर्मचारियों के नाम जो एक जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरण चाहते हैं या जिन्हें स्थानान्तरण किया जाना चाहा गया है, पंचायत समिति, जिला परिषद्, यथास्थिति द्वारा निदेशक को संसूचित किये जायेंगे।

(2) ऐसे कर्मचारी का स्थानान्तरण द्वारा पदस्थापन ऐसे समय पर विद्यमान रिक्त पदों के प्रति राज्य सरकार की सिफारिश पर संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा की जायेगी।

राज्य सरकार सेवा के किसी सदस्य का जिले के भीतर या उसके बाहर एक पंचायत समिति से अन्य पंचायत समिति में, एक जिला परिषद् से अन्य जिला परिषद् में, या पंचायत समिति से जिला परिषद् में, या जिला परिषद् से पंचायत समिति में कर सकेगी और इन नियमों के अधीन किये गये स्थानान्तरण के किसी आदेश के प्रवर्तन को रोक या निरस्त भी कर सकेगी संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी/विकास अधिकारी ऐसे आदेशों की पालना करेंगे।

(3) किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण पर उसकी गोपनीय पंजिका और सेवाभिलेख उस पंचायत समिति/जिला परिषद् को जिसे उसकी सेवाएं स्थानान्तरित की गई हैं, बिना परिहार्य विलम्ब के भेजे जायेंगे।

291. स्थानान्तरण पर वरिष्ठता—धारा 89 की उप-धारा (8) के खण्ड (पप) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जिले से बाहर किये गये किसी कर्मचारी की वरिष्ठता उस जिले की समिति द्वारा अवधारित की जायेगी जिसमें उसे स्थानान्तरित किया गया है:—

(प) यदि स्थानान्तरण कर्मचारी की प्रार्थना पर किया जाये तो उसकी वरिष्ठता उस संवर्ग की वरिष्ठता सूची के अन्त में नियत की जायेगी जिससे वह सम्बंधित है, और

(पप) यदि स्थानान्तरण प्रशासनिक या अन्य कारणों से किया जाये तो उसकी वरिष्ठता सदृश पद पर उसके निरन्तर अधिष्ठायी सेवाकाल के आधार पर नियत की जायेगी।

292. वेतनमान और महंगाई भत्ता—सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय वेतनमान और महंगाई भत्ता वह होगा जो सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी के तत्समान वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में या सेवा में मद के किसी विशिष्ट पद प्रवर्ग विशेष में समय-समय पर नियत किया जायेगा।

अन्य प्रावधान

293. वेतन, अवकाश, भत्तों, पेंशन आदि का विनियमन—इन नियमों में प्रवाहित किए गए के सिवाय, सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्तों, वेतन वृत्तियों, सामान्य प्रावधायी निधि, राज्य बीमा कटौतियों, पेंशन ग्रेज्युटी, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति आदि, अवकाश प्रतिनियुक्ति एवं अन्य सेवा की शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ राजस्थान सेवा नियम, 1951 एवं समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों द्वारा विनियमित की जायेंगी।

294. पेंशन का भुगतान—(1) सेवा का सदस्य राज्य की संचित निधि में से सरकार द्वारा पेंशन लेने का हकदार होगा तथा प्रत्येक पंचायत समिति एवं जिला परिषद् राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट तद्व में दी गयी दरों के अनुसार उस हेतु राज्य सरकार को पेंशन योगदान देगी तथा भुगतान करेगी।

(2) पेंशन भुगतान ओदश सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद् से पेंशन के कागजात प्राप्त करने पर निदेशक, स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे। भुगतान पेंशनर की प्रार्थना के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा द्वारा कोषागार/प्राधिकृत बैंक से आहरित किया जायेगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशनर को अस्थायी पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा।

295. प्रशिक्षण के दौरान—यदि सेवा का कोई सदस्य पंचायत समिति/जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने के बाद प्रशिक्षण लेने में असफल रहता है या उसका प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद अपना अध्ययन सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता है या प्रशिक्षण की परीक्षा में बैठने एवं उसे उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो वह प्रशिक्षण के दौरान, अपने द्वारा जिस स्टाइफण्ड को, यदि कोई हो, लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

296. नियमों को शिथिल करने की शक्ति—सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषदों द्वारा संदर्भ किए जाने पर किसी अपवाद स्वरूप मामले में जहाँ प्रशासनिक विभाग इससे सन्तुष्ट हो कि आयु से सम्बन्धित या भर्ती के लिए अनुभव की अपेक्षा से सम्बन्धित नियमों को प्रवर्तित करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है या जहाँ सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के सम्बन्धमें इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल करना आवश्यक है, तो वह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से, इन नियमों के सुसंगत प्रावधानों को उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसे वह मामले को उचित एवं साम्ययुक्त (इक्विटेबिल) तरीके से संव्यवहृत करने के लिए आवश्यक समझेगी, शिथिल कर देगी, परन्तु यह कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से दिए गए प्रावधानों से कम अनुकूल नहीं होंगे।

टिप्पणी

राजस्थान पंचायती राज नियम बनाते समय यह विशेष ध्यान रखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें समान रहें। पूर्व में पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान नहीं था तथा अन्य सेवा शर्तों में भी अन्तर था। नियम 293 में विशेष प्रावधान किया गया कि वेतन, अवकाश, पेंशन आदि राजस्थान सेवा नियम अनुसार होंगी। भर्ती एवं पदोन्नति के नियम, मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य की नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुसूचित जाति जन जाति और पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण भी राज्य सरकार के अनुरूप है।

अध्यापकों की भर्ती हेतु 2004 में 75 प्रतिशत पैरा टीचर एवं शिक्षा सहयोगियों में से नियुक्त करने का संशोधन किया गया है। अभी तक अध्यापकों की भर्ती जिला परिषद् द्वारा जिला स्तर पर की जाती थी जिसमें एकरूपता न रहने से शिकायतों की सम्भावना होती थी इसलिये भर्ती नियमों में संशोधन कर भविष्य में राज्य सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती करने का संशोधन हुआ है। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार एस.टी.सी पास उम्मीदवार प्राथमिक शालाओं में नियुक्त होंगे और बी.एड. पास उम्मीदवार प्राथमिक शालाओं में नियुक्त होंगे।

महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत पद आरक्षित हैं जिनमें 80 प्रतिशत विधवाओं हेतु एवं 20 प्रतिशत तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए हाल ही में आरक्षित किये गये हैं।

ग्राम सेवक की नियुक्ति हेतु योग्यता हायर सैकण्डरी से बढ़ा कर स्नातक कर दी गयी है ताकि अधिक योग्य उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा हेतु उपलब्ध हो सके और कार्यकुशलता में वृद्धि हो।

मंत्रालिक एवं अधीनस्थ सेवा पद (अनुसूचि)

अगले पृष्ठ पर देखें

क. स.	पद का नाम एवं वेतन	भर्ती के स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती हेतु योग्यता एवं अनुभव	पदोन्नति		विशेष अनुभव
		सीधी भर्ती से	पदोन्नति से		पद जिसमें पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा	पदोन्नित हेतु योग्यता अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंचायत प्रसार अधिकारी (1400-2600)	-	100:	-	ग्राम सेवक पदेन पंचायत सचिव	का. 6 में दर्शाए गए पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
2	वरिष्ठ लिपिक मय वरिष्ठ लिपिक व स्टेनो (1700-2060)	-	100 :	-	कनिष्ठ लिपिक	उपरोक्त	-
3	कनिष्ठ लिपिक (950-1680)	85 :	15 :	सीनियर सैकेण्डरी एवं टाईप का ज्ञान	चतुर्थ श्रेणी कमचारी	का. 5 में दर्शाई गई योग्यता	-
4	ग्राम सेवक - पदेन - पंचायत सचिव (950-1680)	100 :	-	स्नातक अथवा सरकार द्वारा घोषित समान योग्यता	-	-	वे प्रत्याशी भी योग्य माने जाएंगे जिन्होंने 1988 से पूर्व सैक. अथवा हा.सै. पास किया हो
5	प्राथमिक शाला अध्यापक (1200-2050)	75 : पैराटीचर में से 25: अन्य उम्मीदवारों में से	-	सीनियर सैकेण्डरी व बेसिक एस.टी.सी. उत्तीर्ण, 10+2 योजना अथवा हाई स्कूल (पुराना) गणित, हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों सहित	-	-	उपरोक्त अनुसार
6	ड्राइवर (950-1650)	90:	10:	आठवी कक्षा पास व जिसके पास हल्के/भारी मोटर वाहन का ड्राइवर लाइसेंस व तीन वर्ष का अनुभव हो	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	का. 5 में दर्शाई गई योग्यता	-
7	चतुर्थ श्रेणी (750-.....)	100:		पांचवी कक्षा पास			